

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 116/2018/(120)/XXVII(8)/2017/CT-4 dated 3/ January, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 116/2018/(120)/ XXVII(8)/2017/CT-4
Dehradun :: Dated:: 3/ January, 2018

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to waive the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the details of outward supplies for any month/quarter in **FORM GSTR-1** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where there are no outward supplies in any month/quarter, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said details by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.


(Radha Raturi)
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-4
देहरादून:: दिनांक:: 3/ जनवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में किसी मास/तिमाही के लिए जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब शुल्क की रकम को अधित्यजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:


परंतु यह कि जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक उक्त ब्यौरे देने में असफलता के लिए, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहेगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 116/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-4 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव